संख्या-17/2021/233/18-2-2020-97(ल0उ0)/2016टी0सी0

प्रेषक,

नवनीत सहगल
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, उ0प्र0, कानपुर।
3- समस्त विभागाध्यक्ष, उ0प्र0।
4- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
5- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 31 मई, 2021

विषयः-प्रदेश के शासकीय विभागों एवं उनके अधीनस्थ संस्थाओं में सामग्री क्रय एवं सेवाओं की आपूर्ति हेतु निविदाओं में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों व स्टार्टअप्स को छूट एवं परफारमेन्स सिक्युरिटी में कमी प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत ही हैं कि शासकीय विभागों में सामग्री एवं सेवाओं के क्रय के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस, जेम (GeM) को राज्य सरकार द्वारा शासनादेश संख्या-11/2017/523/18-2-2017-97(ल0उ0)/2016, दिनांक 23 अगस्त, 2017 द्वारा अंगीकृत किया गया है और इसके क्रियान्वयन हेतु संख्या-12/2017/540/18-2-2017-97(ल0उ0)/2016, दिनांक 25 अगस्त, 2017 द्वारा दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश के विभिन्न शासकीय विभागों तथा उनके अधीनस्थ संस्थानों में आउटसोर्सिंग के आधार पर मानव संसाधन की आपूर्ति किये जाने के संबंध में कार्मिक विभाग द्वारा शासनादेश संख्या-8/2019/20/1/91-क-2/2019, दिनांक 18-12-2019, श्रम विभाग द्वारा शासनादेश संख्या-717/छत्तीस-5-2020-8(26)/2020 दिनांक 18-8-2020 व उक्त सेवायें जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय किये जाने के संबंध में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के शासनादेश संख्या-31/2020/273/18-2-2020-97(ल0उ0)/2016टी.सी., दिनांक 25-8-2020 व संख्या-42/2020/ई-153/18-2-2020-97(ल0उ0)/2016टी0सी0, दिनांक 07-12-2020 द्वारा दिशा-निर्देश निर्गत किये गये है।

2- अवगत कराना है कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा निर्गत आउटसोर्सिंग/सेवाओं की आपूर्ति विषयक विभिन्न शासनादेशों में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को सेवा क्षेत्र में ई0एम0डी0 से छूट प्रदान नहीं की गयी है। उल्लेखनीय है कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के शासनादेश संख्या-7/2020/151/18-2-2020-63(ल0उ0)/2020, दिनांक 19-3-2020 द्वारा निर्गत सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रय नीति-2020 के प्रस्तर-4.2 में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (उत्पाद एवं सेवा) को निविदा सेट नि:शुल्क उपल्बध कराने तथा अग्रिम धन के भुगतान से छूट प्रदान की गयी है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार के जनरल फाइनेंसियल रूल्स, 2017 के चैप्टर-6 के नियम-170 व भारत सरकार के परिपत्र संख्या-1(2)2016-MA दिनांक 10-3-2016 तथा संख्या-1(2)2016-MA संख्या-F-20/2/2014-PPD(Pt), दिनांक 25-7-2017 में दिये गये प्राविधानों के क्रम में जेम पोर्टल पर सूक्ष्म

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

एवं लघु उद्यमों तथा स्टार्टअप्स को ई0एम0डी0, कार्यानुभव व टर्न ओवर आदि से छूट प्रदान की गयी है।

3- इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के परिपत्र संख्या-F.9/4/2020-PPD, दिनांक 12-11-2020 द्वारा कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न अर्थव्यवस्था में मंदी के दृष्टिगत जेम पोर्टल् पर प्रचलित समस्त अनुबन्धों में सफल निविदादाता से ली जाने वाली परफारमेन्स सिक्युरिटी 5-10 प्रतिशत से घटाकर 03 प्रतिशत कर दिया गया है। यह व्यवस्था समस्त निविदाओं के लिये अनुमन्य है। ऐसे अनुबन्ध जो पहले से आर्बीट्रेशन/मा0 न्यायालय के विचाराधीन है, उनको इसका लाभ नहीं दिया जायेगा। यदि परिस्थितिवश कुछ मामलों में परफारमेन्स सिक्युरिटी 3 प्रतिशत से अधिक लेना आवश्यक है, तो सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त ही अनुबन्ध को अंतिम रूप दिया जायेगा तथा अपवाद के औचित्यपूर्ण कारणों का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा।

4- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया जेम पोर्टल पर सामग्री के क्रय/सेवाओं की आपूर्ति में निविदादाताओं से परफारमेन्स सिक्युरिटी 3 प्रतिशत लेने तथा सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (उत्पाद एवं सेवा) तथा स्टार्टअप्स को निविदा सेट नि:शुल्क उपलब्ध कराने, ई0एम0डी0, कार्यानुभव व टर्न ओवर से छूट प्रदान करने हेतु सभी संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

उक्त सीमा तक सामग्री क्रय/सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित समस्त सुसंगत शासनादेश संशोधित समझे जायेंगे।

भवदीय,

नवनीत सहगल
अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

(1) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
(2) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
(3) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, विधान परिषद/विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
(4) सचिव, राजस्व परिषद, लखनऊ।
(5) सचिव, लोक सेवा आयोग उ0प्र0, प्रयागराज।
(6) सचिव, उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
(7) निदेशक, सेवायोजन विभाग, लखनऊ।
(8)निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, लखनऊ।
(9)वेब अधिकारी/वेब मास्टर, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उ0प्र0।
(10) सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से

पन्ना लाल
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in